न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 15 / 2021
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 16.02.2021

निर्णय दिनांक : 20.05.2025

उनवान

1. श्यामलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
2. अम्बालाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
3. चुन्नीलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
4. सन्तोषलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
   सभी निवासीयान दोवडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

वादी

–:बनाम:–

1. अनिता पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
2. अम्बा बेन पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
3. जगदीशचन्द्र पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण
4. देवीलाल पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण
5. नारायणलाल पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
6. प्रेमी पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
7. बालीबाई पत्नी सोहनलाल जाति ब्राहमण
8. मिठूबाई पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
9. रमेशचन्द्र पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
10. रमेशचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण
11. ललीता पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
12. लेहरीलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण
13. श्यामसुन्दर पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
14. सुशीला पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
15. राधादेवी पत्नी मोडीराम जाति ब्राहमण
16. राधेश्याम पिता मोडीराम जाति ब्राहमण
17. धर्मचन्द पिता मोडीराम जाति ब्राहण
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि. 1955
वादी की ओर से :– अधिवक्ता मनोहरलाल खटीक
प्रतिवादी संख्या 4,7,10,12 की ओर से :– अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित,
अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास,
अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भाकरोदा पटवार हल्का जेतपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में वादीगण के हक अधिकार व आधिपत्य की भूमियां स्थित् हैं जिसके वर्तमान खाता संख्या 214 पुराना 203 के आराजी नम्बर 1251, 1252, 1253, 1254 कुल किता 04 रकबा 1.1100 हैक्टेयर भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के संयुक्त हक अधिकार व आधिपत्य की हैं, तथा उक्त भूमियां वादीगण के पूर्वाधिकार नवलराम जी के समय से चली आ रही हैं। नवलराम जी का सजरा निम्न प्रकार है–

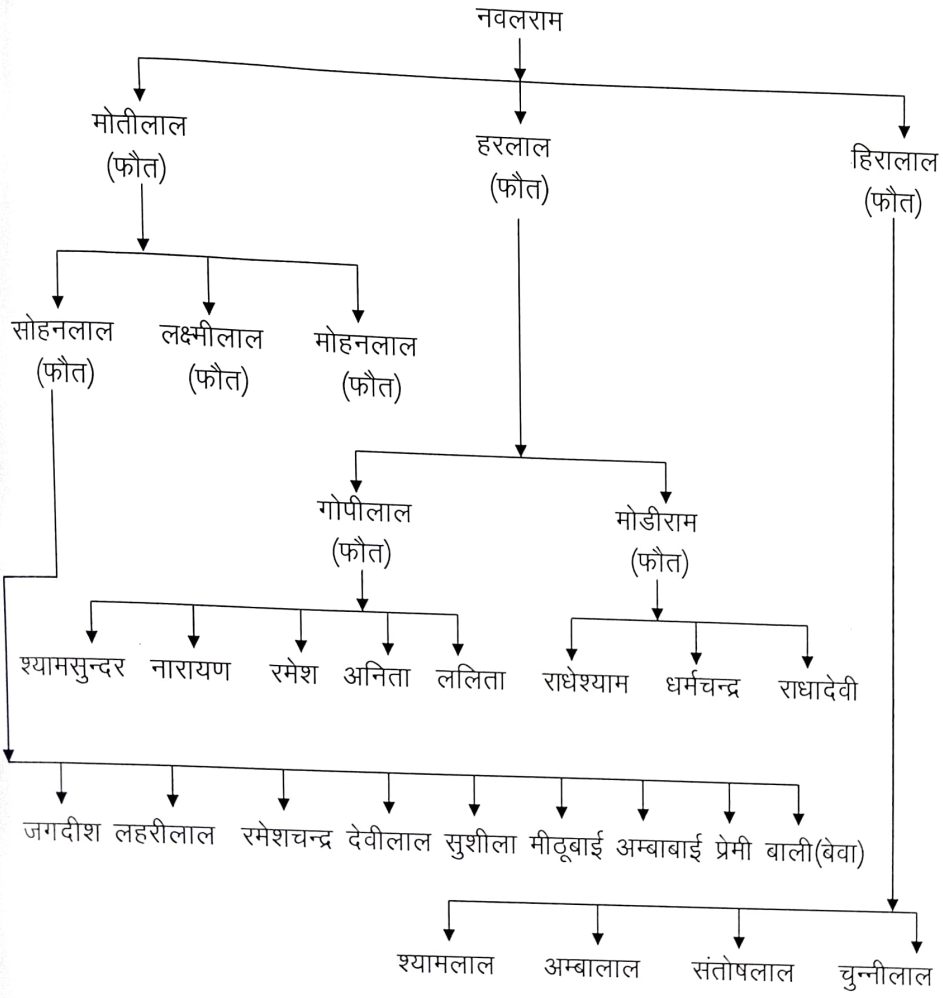

उपरोक्त वर्णित सम्पतियां प्रथम सेटलमेन्ट से पूर्व वादीगण के दादाजी नवलराम जी के खातेदारी थी तथा उसके बाद उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के पूर्वाधिकारी श्री मोतीलाल, हरलाल, हीरालाल पिता नवलराम जी के खाते दर्ज थी जिसके

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

खाता संख्या 71/2 हैं, तथा साथ में खसरा मिलान की नकल भी पेश हैं। उक्त भूमियां नवलराम जी के हक अधिकार की थी तथा उन्ही के कब्जे आधिपत्य में चली आ रही थी उसके बाद उक्त भूमि उनके तीन पुत्र मोतीलाल, हीरालाल और हरलाल के खाते दर्ज हुई होकर वर्तमान में उन्ही के वारीशो के कब्जे ओर आधिपत्य में है तथा वही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। सवंत 2029 से 2033 में सेटमेन्ट की कार्यवाही हुई तथा दोहराने सेटलमेन्ट उक्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के पूर्वाधिकारी हरलाल व मोतीलाल पिता नवलराम जी के खाते दर्ज हो गयी और उक्त भूमि में वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री हीरालाल जी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया और भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के पूर्वधिकारी हरलाल, मोतीलाल, पिता नवलराम जी के खाते दर्ज हो गयी। सेटलमेन्ट विभाग को यह कतई अधिकार नही हैं कि उक्त भूमियों में से वादीगण के पूर्वाधिकारी हीरालाल पिता नवलराम जी का नाम विलोपित करें। सेलमेन्ट विभाग द्वारा गलती से व कानूनी को हाथ में लेकर वादीगण के पूर्वाधिकारी हीरालाल पिता नवलराम का नाम विलोपित कर दिया। सेटलमेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही वादीगण के हक अधिकार के मुकाबले शुन्य होकर वादीगण के हको पर अप्रभावी हैं। वादग्रस्त भूमि में हरलाल, मोतीलाल पिता नवलराम जी का नाम तो यथावत रहा परन्तु हीरालाल पिता नवलराम जी का नाम विलोपित कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 व 17 के पूर्वाधिकारी ने सेटलमेन्ट के दौरान ही सेटलमेन्ट अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त भूमि अपना नाम डलवा दिया और वादीगण के पूर्वाधिकारी हीरालाल जी का नाम विलोपित कर दिया जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी व उनके परिवार के सदस्यों का उनके पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का कब्जा उनके पूर्वाधिकारियों से चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि पर वही काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे हैं ओर वही फसल काट रहे हैं। भूमियां केवल मात्र गलती से प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के खाते दर्ज हैं। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से 17 को कई बार निवेदन किया कि भूमियां गलती से अकेले आपके खाते आ गयी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 17 हमेशा यह आश्वासन देते रहे है कि 1/3 हिस्सा की भूमि तो आपके नाम करवा देगे और खाते दर्ज करवा देगे। भूमि पर तो आपका भी कब्जा चला आ रहा हैं हम इस पर कभी अकेले हक नही जतायेगे। जब भी हम सभी भाई इक्ठठे होगे भूमियों का पंजीयन आपके नाम करवा देगे। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व उनके पूर्वाधिकारीयों का कब्जा वर्षो से चला आ रहा हैं तथा उन्होने ही लाखो रूपये लगा वादग्रस्त भूमि को उपजाउ बनाया हैं, उसके चारो और बाड बनाई उसमें कुए खुदवाये, पुराने कुओं को गहरा करवाया परन्तु वादीगण के पिता ओर उनके पूर्वाधिकारी अनपढ व गरीब होने के कारण उन्हें यह कतई पता नही चला की वादग्रस्त भूमि उनके खाते दर्ज नही हैं जब वादीगण ने वादग्रस्त भूमि की नकले निकलवाई तो उनकी जानकारी में यह आया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातें दर्ज नही हैं। अब प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के मन में बदनियती आ गयी हैं और वह जबरन भूमि हडपने व अवैधानिक रूपयों की मांग करना शुरू कर दिया हैं जबकी प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का वादग्रस्त भूमि पर 2/3 हिस्सा हैं। केवल भूमि अकेले उनके खाते दर्ज हो जाने से कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते हैं। वादग्रस्त भूमि को वादीगण तथा प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

संख्या 01 से 17 की घोषित किया जाना नितान्त अनिवार्य हो गया हैं। अन्यथा वादीगण अपने हको से महरूम हो जायेगा । वादीगण को भारी कष्ट व असुविधा का सामना करना पडेगा तथा वादीगण को ऐसी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई सम्भव नही हैं। इन परिस्थितियों में आवश्यक हो गया हैं कि विवादित भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 की संयुक्त हक अधिकार की घोषित की जावें तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा घोषित किया जावें तथा घोषित भूमि का अंकन हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के बजाय वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का 2/3 हिस्सा उनके विरासत के अनुसार दर्ज किया जावें तथा उनके नाम घोषित हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अंकित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 से 17 भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठा भूमि को बय बक्षीस व हस्तान्तरण करने को आमादा है, तथा वाद ग्रस्त भूमि में वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 17 को यह कतई अधिकार नही है कि वह वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को अकेले हस्तान्तरण करे वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें, और खुर्द बुर्द करे। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 से 17 को जरिये निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना नितांत अनिवार्य हैं अन्यथा प्रतिवादी वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरण कर देगें वादीगण के वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढेगी तथा वादीगण को भारी कष्ट व असुविधा का समाना करना पडेगा। प्रतिवादी संख्या 01 से 17 पर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वह वादग्रस्त भूमि में वादीगण के 1/3 हिस्से को हस्तान्तरण व बय बक्षीस नही करे न ही वादग्रस्त भूमि से कब्जे से बेदखल करें, तथा मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखें जिसके लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश है। वाद हेतूक दिनांक 01.01.2021 को जब वादीगण ने प्रतिवादी सं. 01 व 17 को अंतिम बार यह कहा कि भूमि वादी व प्रतिवादी सं०. 01 से 17 खाते दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी द्वारा इंकार कर दिया गया।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 की संयुक्त हक अधिकार की घोषित की जावें तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा घोषित किया जावें तथा घोषित भूमि का अंकन हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के बजाय वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1/17 का 2/3 हिस्सा उनके विरासत के अनुसार दर्ज किया जावें तथा उनके नाम घोषित हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अंकित किया जावें। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा की डिकी पारीत की जावें कि वह वादग्रस्त भूमि को बय, बक्षीस और हस्तान्तरित नही करे तथा न ही वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पहुचायें न ही वादग्रस्त भूमि में प्रवेश करें, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01, 07, 10, 12 की तरफ से अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित ने वकालत नामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05, 06,

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 17 की तामील प्रकाशन वाया अखबार से करायी गयी जिसके उपरान्त भी उक्त प्रतिवादी न्यायालय मे अनुपस्थित रहे जिससे उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध के एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 29.11.2022 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। दिनांक 06.02.2024 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही करना चाहते जिससे जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। पत्रावली में जवाब प्रस्तुत नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई।

वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य मे शपथ पत्र अम्बालाल पिता हिरालाल जाति ब्राहमण पी–डब्ल्यू 01, चुन्नीलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण पी–डब्ल्यू 02, सन्तोष पिता हीरालाल जाति ब्राहमण पी–डब्ल्यू 03, श्यामलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण पी–डब्ल्यू 04 पेश किया।

पी.डब्लयु–1 अम्बालाल पिता हिरालाल जाति ब्राहमण के शपथ पत्र पर अधिवक्ता शराफत हुसैन द्वारा जिरह की गई। जिरह मे बताया गया कि हरलाल, मोतीलाल, हीरालाल तीनो सगे भाई है। इस सम्बन्ध मे पत्रावली मे कोई दस्तावेज नही किये है। मैंने शपथ पत्र प्रदर्श ए1 के कॉलम संख्या 11 मे लगाए आरोप के सम्बन्ध मे थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज नही करायी। यह कहना गलत है कि हिरालाल जी ने अपने जीवन काल मे इसलिये कार्यवाही नही कराई क्योंकि उन्होने अपना हिस्सा मोतीलाल व हरलाल को हकत्याग कर दिया हो। यह सही है कि प्रदर्श 2ए मे भाईयो का ही हिस्सा दर्ज है। हिरालाल जी ने हकत्याग किया हो तो उसकी लिखापढी मेरे पास नही है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि का लगान मोतीलाल व हरलाल के वारिश भर रहे हो, बल्कि मे भर रहा हूं। जो लगान मे भर रहा हूं उसकी रसीदे मेरे पास नही है।

पी.डब्लयु–2 चुन्नीलाल पिता हिरालाल जाति ब्राहमण के शपथ पत्र पर अधिवक्ता शराफत हुसैन द्वारा जिरह की गई। जिरह मे बताया गया कि यह कहना गलत है कि हीरालाल जी ने मोतीलालजी, व हरलाल जी को विवादग्रस्त जमीन हकत्याग की हो। यह कहना गलत है कि हीरालाल जी ने हकत्याग किया हो। यह कहना गलत है कि हकत्याग की लिखापढ़ी की हो। यह कहना गलत है कि यह जमीन मोतीलाल जी व हरलाल जी के नाम हो। प्रश्नः यह बात तो सही है कि अभी जमीन मोतीलाल व हरलाल के नाम पर है? उत्तर – पुराने सेटलमेंट में हमारे पिताजी हीरालाल जी का नाम था, नया सेटलमेंट में किसी कारणवश हमारे पिताजी हीरालाल जी का नाम कट गया। यह कहला गलत है कि लगान मोतीलाल व हरलाल भर रहे हो, क्योंकि लगान माफ है। राधा देवी अभी उसके ससुराल में रह रही है। यह कहना सही है कि सभी प्रतिवादीगण जीवित है।

पी.डब्लयु–3 सन्तोष पिता हिरालाल जाति ब्राहमण के शपथ पत्र पर अधिवक्ता शराफत हुसैन द्वारा जिरह की गई। जिरह मे बताया गया कि यह कहना गलत है कि हीरालाल जी ने मोतीलालजी व हरलाल जी को विवादग्रस्त जमीन हकत्याग की हो। यह कहना गलत है कि हीरालाल जी ने हकत्याग किया हो। यह कहना गलत है कि हकत्याग की लिखापढ़ी की हो। प्रश्नः यह बात तो सही है कि अभी जमीन मोतीलाल व हरलाल के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

नाम पर है? उत्तर – पुराने सेटलमेंट में हमारे पिताजी हीरालाल जी का नाम था, नया सेटलमेंट में किसी कारणवश हमारे पिताजी हीरालाल जी का नाम कट गया। यह कहला गलत है कि कि लगान मोतीलाल व हरलाल भर रहे हो, क्योंकि लगान माफ है। राधा देवी. अभी उसके ससुराल में रह रही है। यह कहना सही है कि सभी प्रतिवादीगण जीवित है।

दिनांक 29.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 04, 07, 10, 12 के अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार ने आदेशिका पर "No Instruction" अंकित कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिससे उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वादी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के संयुक्त हक अधिकार व आधिपत्य की हैं, तथा उक्त भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के पूर्वाधिकारी श्री मोतीलाल, हरलाल, हीरालाल पिता नवलराम जी के खाते दर्ज थी। उसके बाद उक्त भूमि उनके तीन पुत्र मोतीलाल, हीरालाल और हरलाल के खाते दर्ज हुई। सवंत 2029 से 2033 में सेटमेन्ट की कार्यवाही हुई तथा दोहराने सेटलमेन्ट उक्त भूमि सेटलमेन्ट के बाद प्रतिवादी संख्या 01 से 17 के पूर्वाधिकारी हरलाल व मोतीलाल पिता नवलराम जी के खाते दर्ज हो गयी और उक्त भूमि में वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री हीरालाल जी का नाम खातेदारी में दर्ज होने से रह गया जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी व उनके परिवार के सदस्यों का उनके पूर्वाधिकारियों के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व उनके पूर्वाधिकारीयों का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हैं तथा उन्होने ही लाखो रूपये लगा वादग्रस्त भूमि को उपजाउ बनाया हैं, उसके चारो और बाड बनाई उसमें कुए खुदवाये, पुराने कुओं को गहरा करवाया परन्तु वादीगण के पिता ओर उनके पूर्वाधिकारी अनपढ व गरीब होने के कारण उन्हें यह कतई पता नही चला की वादग्रस्त भूमि उनके खाते दर्ज नही है। प्रतिवादी संख्या 01 से 17 भूमि अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठा भूमि को बय बक्षीस व हस्तान्तरण करने को आमादा है, तथा वाद ग्रस्त भूमि में वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं। अतः वादग्रस्त भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 17 की संयुक्त हक अधिकार की घोषित की जावें तथा वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा घोषित किया जावें।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र से ताईद है कि वादीगण के पैतृक परिवार के सजरे अनुसार नवलराम के तीन पुत्र थे, जिसमें से तीनो पुत्रों मांगीलाल, हरलाल, हिरालाल के नाम वादग्रस्त जायदाद का नामान्तरकरण खुला। वक्त सेटलमेंट विवादित भूमियां मांगीलाल, हरलाल के नाम राजस्व रेकार्ड मे गलत रूपेण दर्ज हो गई जो सेटलमेन्ट विभाग की त्रुटि पूर्ण संदेह प्रकट होता है, जबकि वादीगण का जन्म से पैतृक सम्पति मे समान अधिकार निहित है। जिससे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड में अंकन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार किया जाकर राजस्व राजस्व ग्राम भाकरोदा पटवार हल्का जेतपुरा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 214 पुराना 203 के आराजी नम्बर 1251, 1252, 1253, 1254 कुल किता 04 रकबा 1.1100 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा के अनुसार दर्ज किया जाकर अंकन किया जावे। तद्नुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नोटः— तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे—रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

(विलोप)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट
जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्दसिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 15/2021
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 16.02.2021

निर्णय दिनांक : 20.05.2025

उनवान

1. श्यामलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
2. अम्बालाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
3. चुन्नीलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण
4. सन्तोषलाल पिता हीरालाल जाति ब्राहमण

सभी निवासीयान दोवडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

वादी

–:बनाम:–

1. अनिता पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
2. अम्बा बेन पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
3. जगदीशचन्द्र पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण
4. देवीलाल पिता सोहनलाल जाति ब्राहमण
5. नारायणलाल पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
6. प्रेमी पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
7. बालीबाई पत्नी सोहनलाल जाति ब्राहमण
8. मिठूबाई पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
9. रमेशचन्द्र पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
10. रमेशचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण
11. ललीता पुत्री गोपीलाल जाति ब्राहमण
12. लेहरीलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहमण
13. श्यामसुन्दर पुत्र गोपीलाल जाति ब्राहमण
14. सुशीला पुत्री सोहनलाल जाति ब्राहमण
15. राधादेवी पत्नी मोडीराम जाति ब्राहमण
16. राधेश्याम पिता मोडीराम जाति ब्राहमण
17. धर्मचन्द पिता मोडीराम जाति ब्राहण
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से :– अधिवक्ता मनोहरलाल खटीक
प्रतिवादी संख्या **4,7,10,12** की ओर से :– अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित,
अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास,
अधिवक्ता शराफत हुसैन फौजदार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

मे इस आशय में दिनांक 20.05.2025 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड में अंकन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का दस्तावेजी साक्ष्य से स्वीकार किया जाता है कि राजस्व राजस्व ग्राम भाकरोदा पटवार हल्का जेतपुरा तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द के खाता संख्या नया 214 पुराना 203 के आराजी नम्बर 1251, 1252, 1253, 1254 कुल किता 04 रकबा 1.1100 हैक्टेयर भूमि मे वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। वादग्रस्त आराजी में नियमानुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 से 17 का 2/3 हिस्सा के अनुसार दर्ज किया जाकर अंकन किया जावे।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन आराजी नम्बर मे यदि रकबा कम ज्यादा हुआ हो तो निर्णय मुताबिक पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

आज दिनांक को 20.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)